संख्या-57/2017/2055/22-2-2016-17(86)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डोरे पुत्र श्री नरायन, निवासी जनपद लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डोरे पुत्र श्री नरायन, ग्राम भगवन्त नगर, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 06-01-1997 को 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भूमेश्व, कमलेश, संदीप, सुरेन्द्र एवं शिवदर्शन की लाठी, भाला एवं कांता से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 149, 449, 201, 436, 148 में मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 19-09-1995 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-01-1997 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2015 तक 19 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 04 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। बन्दी द्वारा ढाई माह पूर्व हुए चन्द्र बिहारी की हत्या तथा "ठाकुर जी" की ट्रस्ट प्रापर्टी के विवाद को लेकर 23 सहअभियुक्तों द्वारा मिलकर लाठी, भाला, कट्टा आदि से लैस होकर 05 व्यक्तियों का जनसंग्राह किया गया। अभियुक्त गण द्वारा बांका से सिर काटने के उपरान्त उसे कपडे में बांधकर ले जाया गया। अभियुक्तगण द्वारा घर घेर डीजल छिडककर घर में आग लगा दिया गया। इस प्रकार अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी छोटकन्ने पुत्र श्री फिदा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी डोरे (बन्दी संख्या-32642) पुत्र श्री नरायन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2017/2055(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-57/2017/2055@22-2-2016-17(86)/2008

दिनांक 19 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी डोरे (बन्दी संख्या-32642) पुत्र श्री नरायन, ग्राम भगवन्त नगर, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 06-01-1997 को 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भूमेश्व, कमलेश, संदीप, सुरेन्द्र एवं शिवदर्शन की लाठी, भाला एवं कांता से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 149, 449, 201, 436, 148 में मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 19-09-1995 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-01-1997 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2015 तक 19 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 04 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। बन्दी द्वारा ढाई माह पूर्व हुए चन्द्र बिहारी की हत्या तथा "ठाकुर जी" की ट्रस्ट प्रापर्टी के विवाद को लेकर 23 सहअभियुक्तों द्वारा मिलकर लाठी, भाला, कट्टा आदि से लैस होकर 05 व्यक्तियों का जनसंग्राह किया गया। अभियुक्त गण द्वारा बांका से सिर काटने के उपरान्त उसे कपडे में बांधकर ले जाया गया। अभियुक्तगण द्वारा घर घेर डीजल छिडककर घर में आग लगा दिया गया। इस प्रकार अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी छोटकन्ने पुत्र श्री फिदा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।